डाइबिटीज के कारण जो केटरेक्ट होता है उससे पीड़ित हो, इससे लाभ हो ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : इस बात को पेशे-नजर रखते हुएकि नौजवानों में जो यह जाले का, केटरेक्ट का रोग है, वह बहुत ज्यादा है और यह मानते हुए कि जो यह रिसर्च हुई है और जिसके लिए उस हिन्दुस्तानी डाक्टर की य० एस० ए० की गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपया दिया है ताकि व अपना काम कर सकें क्या इस किस्म की रिजसर्च के लिए हमारे यहां भी सरकार कुछ सहायता दे सकती या आफर कर सकती है ताकि यह आंखों का रोग जो बचपन में बच्चों को बहुत अधिक होता है, वह मिट सके ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, भारत में भी मोतिया बिन्दु पर अनेक अनुसंधान हो रहे हैं । यदि कोई और डाक्टर इस पर काम करना चाहे तो भारत सरकार को उसमें मदद करने में खुशी होगी ।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: There are many social institutions, like, Lions, Rotaries, Giants, JCs and others. They are arranging camps to remove cataract. For example, in Gujarat, we have detected 1 lakh patients. The Government of India should take up after-care measures and help such institutions. Not only diagnosis facilities but after-care treatment also must be provided by the Government of India so that the patients get proper treatment.

MR. SPEAKER: It does not arise.

श्री राम नरेश कशवाह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं कि बरगद के पेड़ का दूध परम्परागत से अनेक रोगों में प्रयोग में लाया जाता है, क्या इसके सम्बन्ध में भी कोई अनुसंधान चल रहा है कि किन किन रोगों में यह उपयोगी है ? यदि नहीं तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई अनुसंधान करेंगे ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् भारतवर्ष में डायबिटीज पर अनुसंधान नहीं है । लेकिन मोतियाबिन्द पर जो अनुसंधान हो रहे हैं व अनेक जगहों पर हो रहे हैं । अगर कोई डाक्टर अनुसंधान करना चाहे तो उनको हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

श्री रघुवीर सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में केटरेक्ट पर जो अनुसंधान हो रहा है, उसमें मदद देने के लिए क्या कुछ और आदमियों को यहां से नहीं भेजा जा सकता है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें

*264. **श्री श्याम लाल धुर्वे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लाइनें बिछाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मण्डला जिले (मध्य प्रदेश) के विभिन्न इलाकों को टेलीफोन द्वारा परस्पर जोड़ने की योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) डाक-तार विभाग ने पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में घाटा उठाकर भी दूरसंचार सेवाओं जैसे सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तारघरों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है । आदिवासी जनसंख्या मुख्य रूप से पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में फैली हुई है । इन इलाकों में 2500 या इससे और अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) मांडला जिल के मवई, घुघरी, मेहदवानी और मोर गांव को छोड़कर सभी खण्ड मुख्यालयों में टलीफोन सुविधा दे दी गई है। इन स्थानों के लिए सार्वजनिक टलीफोन घरों को मंजूरी दे दी गई है लेकिन साज-सामान को कुछ महत्वपूर्ण मदों के उपलब्ध न होने के कारण इनकी स्थापना का काम रुका पड़ा है।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में चार विकास खण्डों का उल्लेख किया है जबकि पांच विकास खण्ड ऐसे हैं जिनकी इतने सालों से उपेक्षा की गयी है। ये विकास खण्ड मुख्य: सड़क से दस मील की दूरी पर हैं। इस वर्ष 30 मार्च तक, मेरे जिले मांडला में लगभग 80 लाख रुपये लेप्स कर दिये गये। एक तो वहां पर आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। फिर वहां पर छोट छोट नालों पर पुलों की व्यवस्था नहीं की गयी दूसरे वह पर टलीफोन की व्यवस्था भी अभी तक नहीं की गयी है। मवई विकास खण्ड के बी० डी० ओ० वहां से 70 मील दूर जिला मुख्यालय में रह कर काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में ऐसे स्थानों की प्रगति कैसे हो सकती है? इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के इन पिछड़े इलाकों को शीघ्र से शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लाइनों से जोड़ दें ताकि इस सुविधा का लाभ उठा कर व इलाके अपनी आवश्यकताओं की चीजें वहां सुलभ करा सकें जिससे कि पैसा लैप्स होने से बच सके। क्या मंत्री महोदय इस तरह का कोई आश्वासन देंगे कि इन इलाकों में टेलीफोन की लाइनों को शीघ्र से शीघ्र दे दिया जाएगा?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : अध्यक्ष महोदय, मवई, घुघरी, मेहदवानी और मोरगांव में जो टलीफोन की सुविधा नहीं है, उस सुविधा को इस सत्र में दे दिया जाएगा।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के जितने भी पिछड़े इलाके हैं, जिन विकास खण्डों को टेलीफोन लाइनों से नहीं जोड़ा गया है, उनमें कितने वर्षों के अन्दर टेलीफोन लाइन आप दे देंगे? इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन क्या मंत्री जी देंगे?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : इस के सम्बन्ध में सूचना चाहिये लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि छठे प्लान में हम लोगों ने पंद्रह हजार टेलीफोन देने का निश्चय किया है जिस में से तीन हजार ट्राइब्ल एरियाज में भी हम लोग देंगे।

SHRI PURNANARAYAN SINHA: It is well known that there is some unrest in the north-eastern sector due to infiltration of people from outside. Has the Government a plan to link all the post-offices in the north-eastern tribal areas with public call offices so that the information necessary for security and maintenance of law and order, and communication will be made available in that area?

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय : इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री राम किंकर बरवा : मंत्री महोदय ने कहा है कि ढाई हजार आबादी वाले गांवों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी लोगों की ढाई हजार की आबादी वाले गांव आपको कोई नहीं मिल सकते हैं। इसका कारण यह है कि आदिवासी लोग जंगलों में अलग अलग रहते हैं। इस वास्ते इस तरह के लोग एक साथ एक गांव में रहते हों, आपको नहीं मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हर एक प्रान्त में कौन कौन से क्षेत्रों को आपने आदिवासी क्षेत्र घोषित किया है और कहां कहां पर आपका देने का विचार है? मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप स्पष्ट बताएं।

श्री नरहिर प्रसाद सुखदेव साय : पूरे भारत में 2500 से ऊपर वाले और पांच हजार से कम वाले ऐसे करीब 16,614 गांव हैं जिनमें से आठ हजार में टेलीफोन की सुविधा दे दी गई है और बाकी में नहीं दी गई है। इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा है छठे प्लान में जो हम लोग पंदह हजार पी सी ओ देंगे उसमें यह आता है।

MR. SPEAKER: Qn. 265 can be linked with Qn. 267. Mr. Mallanna, you can put your question No. 267 also.

SHRI SAUGATA ROY: Mr. Mallanna's question is with regard to jute mills only.

MR. SPEAKER: All right; they can be put separately. Now, Qn. No. 265.

Arrears of provident fund

*265. SHRI SAMAR MUKHERJEE:

SHRI URGASEN:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the total amount of provident fund arrears to be collected from employers till 30th June, 1978;

(b) the amount of arrears recovered during the last six months;

(c) the amount held up (i) due to court cases; (ii) to be recovered from establishments lying closed or gone into liquidation (iii) to be recovered from establishments under the control of the National Textile Corporation; and

(d) the steps proposed for speedy recovery of arrears from the defaulting establishments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) to (d). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The Employees' Provident Fund Authorities have intimated as follows:

(a) Provident Fund arrears amounting to Rs. 20.77 crores were to be recovered from the defaulting unexempted establishments as on 30-6-1978.

(b) An amount of Rs. 2.65 crores was recovered from the defaulting unexempted establishments during the last six months.

(c) The amount held up was:—

(i) Rs. 3.01 crores in respect of Court cases;

(ii) Rs. 2.63 crores in respect of establishments lying closed or under liquidation; and

(iii) Rs. 8.51 crores in respect of establishments under the National Textile Corporation.

(d) Action has been taken by the Provident Fund Authorities against the employers of defaulting establishments under Section 8 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 for recovery of Provident Fund dues as arreas of land revenue. Cases are filed under Sections 14, 14A, 14AA of the Act wherever necessary. Besides, complaints under Section 406/409 Indian Penal Code (breach of trust and criminal misappropriation) are initiated by them in certain chronic cases of default, where the employers deduct the employees' share of provident fund contributions from their wages but do not remit the same to the Provident Fund Authorities. The Courts are also approached under Section 110 of the Criminal Procedure Code for binding the defaulting employers for good behaviour.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: From the statement it appears that Provident Fund arrears amounting to Rs. 20.77 crores—this is a very huge amount—is lying unrealised for a long time. This is the workers' earned money, the employees 'earned money.